

# फर्द अहकाम

(नियम 15)

# 2024/189

11.06.2024

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़  
रानीदेवी बनाम मन्जू आदि

मुकदमा क्रि.सं. अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 90 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
05.06.2024	<p>प्रार्थीया रानीदेवी की तरफ से वकील श्री रामनिवास शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 5 जेबीडी के प.नं. 36/32(104) कि.नं. 1 ता 25 की 6.325 है। भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 05.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">०५/७ सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	<p>11.06.2024</p> <p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अहकाम पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 5 जेबीडी के प.नं. 36/32(104) कि.नं. 1 ता 25 की 6.325 है। भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 05.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">०५/७ सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>

रानी

